उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी अनुभाग-1,
संख्या- 19/2016/717 ई-1/तेरह-2016-146/2015,
लखनऊ::दिनांक:: 11 मई, 2016

विज्ञप्ति/नियुक्ति

श्री राज्यपाल एतद्द्वारा श्री लाल मणि यादव, सहायक आबकारी आयुक्त सम्प्रति जिला आबकारी अधिकारी, फर्रूखाबाद को सहायक आबकारी आयुक्त के पद से उप आबकारी आयुक्त के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मौलिक रूप से प्रोन्नत किये जाने का आदेश प्रदान करते हैं।

2. श्री यादव को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी वर्तमान तैनाती से सम्बन्धित जोन में प्रोन्नति के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित् करें। श्री यादव की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-364(एस/बी)/2014, रिट याचिका संख्या-458(एस/बी)/2014 में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 19/2016/717 ई-1/तेरह-2016-146/2015 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिकारी की तैनाती का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
3. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त।
7. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करके आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित् करें।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in